संख्या-05/2016/1440/22-4-15-48(98)/15

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 19 जनवरी, 2016

विषय- जिला कारागार, अलीगढ़ में जेल फाटक क्रासिंग सं0-111ए पर रेल उपरिगामी सेतु(आर0ओ0बी0) के निर्माण हेतु अनापित्त प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46858/नम-1/219, दिनांक-10.11.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में जेल फाटक क्रासिंग संख्या-111ए पर रेल उपरिगामी सेतु(आर0ओ0बी0) के निर्माण हेतु महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा की गई संस्तुति के दृष्टिगत अनापत्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) जिला कारागार, अलीगढ़ की मेनवाल को शिफ्ट करने के उपरान्त रिक्त होने वाली भूमि पर कारागार विभाग का स्वामित्व बना रहेगा।

(2) सुरक्षा की दृष्टि से सेतु के ऊपर जेल की तरफ सी0जी0आई0 सीट लगाने तथा उसके क्षतिग्रस्त, जीर्ण-शीर्ण, निष्प्रयोज्य एवं असुरक्षित होने पर उसके तुरन्त बदले जाने का दायित्व सेतु निगम का होगा।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में सेतु निगम से अंडरटेकिंग प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-05/2016/1440(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) जिलाधिकारी, अलीगढ़।
(2) प्रबंध निदेशक, सेतु निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in